राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली, कैमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड,जयपुर

ई मेल:—jaipurmrhome@gmail.com

क्रमांक

दिनांक

खुली निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक—बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है:—

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	1/2015—16	आवासी बालक/बालिकाओं के लिए फल एवं सब्जी आपूर्ति	एक वर्ष	600000	12000	23.12.2015 5 PM	28.12.2015 12 PM	28.12.2015 1 PM
2	2/2015—16	आवासी बालक/बालिकाओं के उपयोग में आने वाले वस्त्र धुलाई मय समस्त सामग्री सहित।	एक वर्ष	600000	12000	23.12.2015 5 PM	28.12.2015 12 PM	28.12.2015 1 PM

निविदा प्रपत्र 200/— नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 23.12.15 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा से संबंधित विवरण वैबसाइट sppp. rajasthan.gov..in एवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov..in पर एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोट—1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जावेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट sppp .rajasthan.gov..inएवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov..in से डाउन लोड किया जा सकता है।

3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र का भुगतान निविदाये जमा कराते समय साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जायेगा।

अधीक्षक

क्रमांक 909-14

दिनांक:- 9-12-2015

प्रतिलिपि:—

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव,निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4. श्रीमान लेखाधिकारी निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर को भेज कर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल sppp. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।
5. नोटिस बोर्ड
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड
7. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।

अधीक्षक

मानसिक विमन्दित महिला एवं

बाल कल्याण पुनर्वास गृह

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जयपुर

कोड नं. 11/237.. 38

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

निविदा फार्म (बोली डाटा शीट)

ई मेल:-jaipurmrhome@gmail.com

1. विषयः– आवासियो के लिये फल एवं सब्जी आपूर्ति।
2. निविदादाता का नाम व डाक का पूरा पता ....
3. मोबाईल नं...
4. संदर्भ निविदा क्रमांक 01/2015–16 दिनांक
5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/– अक्षरे दो सौ मात्र नकद (रसीद संख्या)/डी.डी. /बैंकर्स चैक नं........................ दिनांक............के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 01/2015–16 दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. फल एवं सब्जी आपूर्ति बाबत हमारी दरें निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	सामग्री का नाम	दर (प्रतिकिलो)		विवि
		अंकों में	शब्दों में	
1.	विभिन्न सब्जियां सभी मौसम के अनुसार			
2.	केला			
3.	सेव			
4.	अमरूद			
5.	आम			
6.	अंगूर			
7.	नासपत्ति			
8.	संतरा			
9.	चीकू			
10	पपीता			

8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर फल एवं सब्जी की आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जावेगी।

9. दरें एक वर्ष के लिये मान्य है इस अवधि को पारस्परिक सहमती के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।

10. बयाना राशि रूपये 12000/—अक्षरे बारह हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या.................................जो (बैंक का नाम)...पर आहारित किया गया है/नकद रसीद संख्या......................./चालान संख्या...........................और दिनांक.......................रूपये..................संलग्न है।

11. आयकर स्थाई खाता संख्या.................................

12. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें)

1.

2.

3.

4.

5.

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणी :– निविदादाताओ को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हे पूर्णरूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।

1 निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से मुहर बंद लिफाफे में बन्द करना चाहिये।

2 व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3 ठेकेदार को फल एवं सब्जी की अनुमानित लागत रूपये 600000/– का 2 प्रतिशत राशि रूपये 12000/– बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) नकद/बैक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के नाम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

4 i फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जायेगा ।

ii संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारो को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जावेगा जब कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

5 निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दो दोनो में लिखनी चाहिये निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाना अनिवार्य है निविदा प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावेगा। पैन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6 मोहरबन्द निविदा प्रपत्र मय बयाना राशि (अनेस्टमनी) राशि रूपये 12000/– दिनांक **28.12.2015** को 12:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये और उसी दिन दोपहर 1:00 बजें निविदाये खोली जावेगी।

7 विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

8 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।

9 निविदादाता का /उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

10 असफल निविदादाताओ को बयाना राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

11 करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500 /–रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उसके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस

दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः—

(क) नकद/बैक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

v करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

12 बयाना राशि का समपहरण —बयाना राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जायेगाः—

i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें उपान्तरण करता है

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

iv जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हो ।

13 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत कर लिया जावेगा :—

i जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने मे असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

14 ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस ठेका देकर निरस्त कर दिया जावेगा।

15 ठेके का एक वर्ष की अवधि में यदि फल एवं सब्जी आपूर्ति का कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो आपूर्ति का ठेका विभाग के विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही दरो पर बढाया जा सकेगा जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनो की सहमति से 6 माह अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।

16 ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ फर्म का आयकर स्थाई खाता संख्या का प्रमाण पत्र (पेन कार्ड) संलग्न किये जायेगें। इस के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

17 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

18 सरकार द्वारा विहीत सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर (देय होने पर) आदि ठेकेदार द्वारा ही वहन किये जायेंगे ।

19 भुगतान : भुगतान अग्रिम नही किया जावेगा। जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेगें।

20 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में ऐसी किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/ सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22 निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:–

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भगीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर ।

iv कंपनी के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23 यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।

24 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी ।

25 निविदा के लिफाफे पर फल एवं सब्जी आपूर्ति हेतु ठेका अंकित किया जावे।

26 निविदा में भरी जाने वाली दर संस्था के भण्डार तक सामग्री पहुंचाने के लिये होगी और उसमें सभी प्रकार के कर, गाड़ी, भाड़ा, लोडिंग, अनलोडिंग आदि शामिल होगे।

27 फल एवं सब्जी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा सामग्री ठीक किस्म की नही होने पर स्वीकार नही की जायेगी अस्वीकृत माल को ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर इस हेतु निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से उठाना होगा। फल एवं सब्जी प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे तक दोनो समय की आपूर्ति की जानी होगी। फल एवं सब्जी का प्रतिदिन संस्था के गेट पर वजन करवाकर गेट रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना अनिवार्य होगा।

28 एक बार ठेका तय हो जाने पर ठेकेदार को सम्पूर्ण अवधि तक अनुमोदित दरो पर आपूर्ति करनी होगी, चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थिति ही उत्पन्न क्यो न हो जाए।

29 i निविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से कार्य आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

ii परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में, वसूली सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के आधार पर उन स्टोर के मूल्यो के लिए की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है।

30 आदेशानुसार माल की आपूर्ति निर्धारित समय पर तथा सम्पूर्ण माल की एक साथ करनी होगी छोटे छोटे भागो में आपूर्ति स्वीकार नही की जावेगी। यदि ठेकेदार भागो में सप्लाई करता है या विलम्ब से करता है तो उस पर एक क्रय आदेश की आपूर्ति नही करने पर आपूर्ति नही की गई सामग्री के मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक निम्नानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी :–

अ निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब के लिये	2.5 प्रतिशत
ब निर्धारित समय से 2 घंटा विलम्ब के लिये	5 प्रतिशत
स निर्धारित समय से 3 घंटा विलम्ब के लिये	7.5 प्रतिशत
द निर्धारित समय से 4 घंटे से ज्यादा विलम्ब के लिये	10 प्रतिशत

31 फल एवं सब्जियों की आपूर्ति हेतु प्रति सप्ताह मांग पत्र जारी किया जाएगा । आदेशित फल एवं सब्जी बाजार में उपलब्ध नही होनें पर पूर्ण सन्तुष्टि होने पर ही अन्य फल या सब्जी का आदेश दिया जाएगा।

32 सामग्री की आपूर्ति समय पर नही करने पर अधीक्षक, मानसिक विमंदित गृह, जयपुर को अधिकार होगा कि वह उक्त सामग्री बाजार से संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर क्रय कर सकेगा और उसमें हुए अतिरिक्त व्यय को ठेकेदार के विचाराधीन बिल या प्रतिभुति राशि या अन्य तरीके से वसूल किया जायेगा।

33 निविदा प्रपत्र में दी गई आपूर्ति की मात्रा केवल सामान्य जानकारी के लिए है, आपूर्ति की वास्तविक मात्रा को कम या अधिक करने का अधिकार अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जामडोली जयपुर को होगा।

34. राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी क्रय संबंधित आदेश भी इस संविदा की शर्तो के अन्तर्गत माने जावेगें।

35. निविदायें सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। उन्हें परिशिष्टि अ में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

परिशिष्ट "अ"

घोषणा पत्र

मैं/ हम यह घोषणा करते है कि मैं/ हम फल व सब्जी के खुदरा व्यापारी हूँ/है। हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई हैं अगर कही अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती हैं/मानी जावेगीं।

यह है कि यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड,जयपुर

निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेल:-jaipurmrhome@gmail.com

निविदा फार्म

1. विषय :- आवासियों के वस्त्र धुलाई एवं प्रेस के कार्य के लिये निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता
   ....
   ....
3. निविदादाता का मोबाइल नं..
4. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 02/2015-16
5. दिनांक ....जमा कराई गई है।
6. निविदा सूचना, संख्या 02/2015-16 दिनांक .... जोकि अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तो की पालना करने के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।
7. वस्त्र धुलाई कार्य का जो ठेके पर दिया जाना है उसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, ओर उसी आधार पर दरें दी जा रही है।
8. कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि में कार्य करना शुरू कर दिया जायेगा।
9. वस्त्र धुलाई ठेका देने बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है :-

क्रस.	कार्य का विवरण	मासिक दर	विवि
1	200 विमंदित महिला एवं बालकों के दैनिक उपयोग में आने वाले वस्त्र यथा नेकर, पेन्ट, महिलाओं के वस्त्र, दरी, खेस, कम्बल, चादर एवं तौलिये, स्वेटर, चटाई एवं गद्दे की प्रति दिन धुलाई एवं प्रेस मय सामग्री व आवश्यकतानुसार कम्बल ड्राईक्लीन का कार्य ।	(मय समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारो के विवरण सहित) रूपये:-.............................. अक्षरे..............................	

10. उपरोक्त अंकित दर एक वर्ष तक वैध है, आवश्यकता होने पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिये सफल निविदादाता/संवेदक बाध्य हैं, और इससें अधिक अवधि बढ़ाने के लिए दोनो पक्षकारो की सहमति आवश्यक है।
11. बयाना राशि (अर्नेनेस्ट मनी) रूपये.12000/- (अक्षरे रूपये.बारह हजार मात्र) डी.डी. संख्या/नकद रसीद संख्या/चालान संख्या........................ दिनांक .... जमा करा दी गई है।
12. फर्म का पंजीकरण नं. एवं दिनांक ....
13. आयकर स्थाई खाता संख्या..

14. सर्विस टैक्स पंजीयन सख्यां ....संविदा मूल्य की 50 प्रतिशत तक अधिक राशि का कार्य आदेश क्रय समिति के अधीन बढ़ाया जा सकता है।

15. निम्न प्रमाण पत्र संलग्न है

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रतिबन्ध एवं शर्तें

टिप्पणी:— निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदाओ को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये तथा लिफाफे पर "विमंदित महिलाओं एवं बालको के वस्त्र धुलाई की निविदा" अंकित करना चाहिये।

2. व्यक्ति / संस्था / फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस सबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3. निविदादाता को अनुमानित लागत रू 600000/— का 2 प्रतिशत राशि रू. 12000/— बयाना राशि (अनेस्टमनी) नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।

4. निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दो दोनों में लिखी जानी चाहिय। निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा।

5. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 12000/—(अक्षरे बारह हजार मात्र) दिनांक **28.12.2015** को 12:00 बजे दोपहर तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, जामडोली, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक **28.12.2015** को 1:00 बजे खोली जावेगी ।

6. विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

7. फर्म / ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।

8. निविदादाता का / उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

9. असफल निविदादाताओ को बयाना राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

10 करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:—

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500 /—रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगे:—

(क) नकद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधियत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जायेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह मे लौटा दी जावेगी।

11 बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलो मे समपहृत कर लिया जायेगा:—

i.जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii.जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

iii.जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

iv.जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हो।

12. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत कर लिया जावेगा :—

I जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा; इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13. ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

14. ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। वस्त्र धुलाई एवं प्रेस का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही दरो पर बढाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।

15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

16. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर देय होने पर, आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जायेगे।

17. भुगतान:—भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

18. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है,स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:—

I यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

21. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

22 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

23. संस्था में वस्त्र धुलाई के कार्य हेतु किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। धुलाई करने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीडित नहीं होने चाहियें तथा पूर्ण स्वस्थ हो। धुलाई कर्मचारी प्रातः 9 बजे संस्था में उपस्थित होगें एवं सांय काल आवासियों के समस्त वस्त्रों की धुलाई एवं प्रेस करने के बाद जायेगें। आवश्यकता अनुसार कार्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

24. धुलाई हेतु दिये गये वस्त्र डिलीवरी के समय से 24 घन्टे में धोकर, सुखाकर एवं प्रेस कर उपलब्ध करवाने होगें। निर्धारित समय के विलम्ब पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी–

अ निर्धारित समय सें 4 घन्टे तक विलम्ब के लियें उस दिन की देय राशि का 2.5 प्रतिशत

ब निर्धारित समय सें 4 घन्टे से 8 घन्टे तक विलम्ब के लियें उस दिन की देय राशि का 5 प्रतिशत

स निर्धारित समय सें 8 घन्टे से 12 घन्टे तक विलम्ब के लियें उस दिन की देय राशि का 7.5 प्रतिशत

द निर्धारित समय सें 12 घन्टे से 16 घन्टे तक विलम्ब के लियें उस दिन की देय राशि का 10 प्रतिशत

27 उक्त निविदा लगभग 200 मानसिक विमंदित आवासियों की वस्त्रों की धुलाई के कार्य प्रतिदिन करने हेतु है जिसमें आवासियों के पहननें, ओढ़ने एवं बिछाने के वस्त्र यथा नेकर, पेन्ट,महिलाओं के सूट, दरियां, चटाईयां, कम्बल, गद्दे, आदि (मल मूत्र एवं गंदगी से सने वस्त्र भी शामिल है।) की धुलाई एवं प्रेस करनी होगी। ठेकेदार को धुलाई हेतु आदेशानुसार कुल 8 महिला व पुरूष कर्मचारी रखने होगें।

28 वस्त्र धुलाई एवं प्रेस की दरे मय उपयोग में ली जाने वाली धुलाई सामग्री एवं अन्य समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारों सहित प्रस्तुत की जानी चाहिए।

29 ठेकेदार को वस्त्र धुलाई के लिये निःशुल्क पानी, प्रेस के लिये टेबल, धुलाई एवं प्रेस हेतु जगह की व्यवस्था कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। अन्य समस्त सामग्री के व्यय का भार ठेकेदार को वहन करना होगा विद्युत उपकरण काम में लेने पर सबमीटर एवं सबमीटर के अनुसार विद्युत खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

30 फर्म /संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नही होगा। फर्म को अगले माह का भुगतान, गत माह के भुगतान करने की रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। संवेदक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का सुनिश्चयन करना होगा। इसके लिये वह व्यक्तिशः जिम्मेदार होगा।

31 धुलाई एवं प्रेस संबंधित कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लियें मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एव जिम्मेदार नही होगा।

32 न्यूनतम मजदूरी/ पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ संवेदक की है तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मागें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

33 ठेके की अवधि में यदि कर्मचारी द्वारा हडताल की जाती है। और फर्म/संवेदक इस अवधि में वस्त्र धुलाई का कार्य करने में असमर्थ रहता है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर वस्त्र धुलाई एवं प्रेस संबंधित कार्य कराने में राशि व्यय की जा सकेगी और यह राशि संवेदक को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

34 वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने संबंधित कर्मचारियों की उपस्थित कार्यालय के प्रभारी /कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने वाले कर्मचारियों के निवास /स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नही दिया जायेगा।

35 वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने का कार्य करने वाले कर्मचारियों को अधीक्षक के आदेशानुसार निर्धारित रंग का एवं संवेदक फर्म का नाम लिखा हुआ एप्रिन पहनना अनिवार्य होगा।

36 अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/ उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर फर्म को देय राशि में से 800/– की कटौती एक बार में की जावेगी।

37 अधीक्षक के आदेश पर वस्त्र धुलाई एवं प्रेस करने वाले कर्मचारी बदलने होंगे, यदि किसी वस्त्र धुलाई एवं प्रेस कर्ता से त्रुटि होती है तो फर्म/संवेदक उसका पूर्ण जिम्मेदार होगा।

38 उपलब्ध कराये गये वस्त्र धुलाई एवं प्रेस कर्मी पर प्रशासनिक नियन्त्रण कार्यालय अध्यक्ष/अधीक्षक का होगा।

39 संवेदक/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होनी चाहिये।

उपरोक्त कार्य संबंधी शर्ते, मैंने पढ़ ली है, और स्वीकार किया है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

एसआर प्ररूप—अ

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मामलों के लिये निविदा दी है उनके लिये हम श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ....दिनांक............................... है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता